न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 08/2023 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
––प्रार्थी

बनाम

संदीप कुमार पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट सिहाग निवासी हरदासवाली पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
––अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अप्रार्थी।

दिनांकः–20.03.2024

–:निर्णयः–

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2023 को सुश्री पूनम पुलिस उपाधीक्षक, वृत रावतसर मय जाब्ता बाद कार्यवाही मौके से चैकिंग व जब्ती के हाजिर थाना आई व एक फर्द बदी मजमून दिनांक 03.07.2023 समय 05.55 पीएम दिनांक 03.07.2023 के समय 05.10 पीएम पर पूनम पुलिस उपाधिक्षक वृत रावतसर मय श्री सहीराम हैडकानि 132, श्री मुकेश कुमार कान 428, श्री मख्तीयार सिह हैडकानि चालक नं. 2170 सरकारी वाहन से कार्यालय से ईलाका गश्ती व अवैध धंधो की चैकिंग हेतु रवाना होकर कस्बा रावतसर में गश्त व चैकिंग की जिसके दौरान मुख्यव बस स्टैयण्डत रावतसर पर समय 05–30 पीएम पर मुखबिर से सूचना मिली की कस्बा रावतसर में खोडा तिराहा के पास शनि मन्दिर के सामने कृष्णा कार गैरेज व एचपी पेंट्रोल पम्प के बीच खाली जगह में पीकअप न आजे 49 जीए 2928 में मशीन लगाकर व टंकी बनाकर डीजल बेच रहा है। जो अभी एक डम्फर में भर रहा है। सूचना विश्वसनिय होने से मैं पुलिस उपाधिक्षक मय जाब्ता सरकारी वाहन से तुरन्त रवाना होकर समय 05–35 पीएम पर सांकेतिक स्थान खोडा तिराहा के पास शनि मन्दिर के सामने पहुंचे जहां पर पेंट्रोल पम्प व कृष्णा कार गैरेज के बीच खाली जगह में एक पीकअप खड़ी जिसके पीछे पट्रोल/डीजल पम्प की तरह पाईप व नोजल लगाकर पास खड़े एक बिना नम्बरी डम्फर में डीजल भरता नजर आया तथा पुलिस वाहन को देखते ही डम्फर चालक डम्फर को तेज स्पीड में लेकर भागा जिस पर सहीराम एचसी को पीकअप व व्यक्ति की निगरानी हेतु छोडकर शेष जाप्ता सहित डम्फर का पिछा किया तो वह काफी तेज गति से धन्नासर पल्लू की तरफ भाग गया एवं नजरों से औझल हो गया इस पर समय 05–45 पीएम पर वापस पिकअप के पास आकर इसकी तलाशी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह लेना चाहा तो आसपास मौजूद व्यक्ति बिना नाम पता बताये खिसक गये ऐसी स्थिति में साक्षीगण उपलब्ध नहीं होने पर हमराही जाप्ता के समक्ष पिकअप की चैकिंग कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं इससे संबधित पास में मौजूद डिजल बेचने वाले व्यक्ति से पूछने पर इसने अपना नाम संदीप कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट सिहाग उम्र 23 साल निवासी हरदासवाली पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़ होना व हरियाणा पंजाब से डीजल खरीद कर लाकर इस ... में बनी टंकी में भरकर मशीन से वाहन वालों को 21 रुपये प्रति लीटर राजस्थान से सस्ती ... में ... थोड़ी देर पहले जिस डम्फर में डीजल में भरना जो भाग गया, के नम्बर ... नहीं जानना बताया। इस पर पिकअप को चैक करने पर आगे नम्बर प्लेट पर नम्बर RJ49GA2928 लिखे व चैसिस नम्बर MA1ZC4TBK1B20270, पुरानी सफेद रंग की जिसके पीछे बोडी में लोहे ... चद्दर की एक टंकी बनी हुई जिसके उपर ढक्कन लगा व पिछे की तरफ डीजल नापने की मशीन, पाईप व नोजल लगी हुई है मशीन पर 345.63, 31452.33, 91.00 स्क्रीन पर नजर आ रहे है जो क्रमशः भरे गये डीजल, कीमत, दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:46:17 IST
Reason: SelfAttested

दर्शाती है एवं टंकी के अंदर करीब 950 लीटर डीजल भरा हुआ हैं जो 50 लीटर क्षमता के नाप से मापा जाकर पहले ड्रमों में भरा गया व वापस टंकी में माप के बाद भरा गया। उक्त संदीप कुमार से उक्त वाहन पीकअप में डीजल भरकर बेचने संबंधी अनुज्ञा पत्र चाहा तो इसने अपने पास नहीं होना बताया। चूंकि उक्त संदीप कुमार का बिना वैध अनुज्ञा पत्र के इस प्रकार उक्त पिकअप में टंकी बनाकर डीजल भरकर मशीन से बेचना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से पीकअप मय डीजल जब्त कर टंकी में से 1 बोतल डीजल बतौर नमूना सैम्पल भरकर शिल्ड कर मार्क। दिया व 1 बोतल डीजल भरकर बतौर कन्ट्रोल सैम्पल शिल्ड् कर मार्क ठ दिया गया। उक्त संदीप की तलाशी ली गई तो इसकी लोअर की दाहिनी जेब में गाडी की चाबी व 15,600/– रुपये नकद मिले जो रुपये बेचे हुए डीजल के होने बताये अतः गाडी की चाबी व उक्त रुपये बतौर वजह सबूत जब्त किये। पिकअप आरजे 49 जीबी 2928 मय डीजल टंकी व मशीन को बतौर वजह सबूत जब्त किया। अभियुक्त संदीप कुमार को बतौर वजह सबूत जब्त किया। अभियुक्त संदीप कुमार को इसके अपराध व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर गिरफ्तार कर तलाशी ली गई तो पहने कपडों व जब्तीशुदा उक्त प्रादर्शो व राशि के अलावा कुछ नहीं मिला। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना इसके परिजन को दी जावेगी तथा पुलिस थाना रावतसर पहुंच अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा। नमूना शील चैकिंग, तफ्तीफ व गिरफ्तारी प्रपत्र नियमानुसार लेखबद्ध कर संबंधितों को पढ़कर सुनाया, सही होना स्वीकार किया। एसडी सहीराम, संदीप, मुकेश, मुख्तयार सिंह, पूनम पुलिस उपाधीक्षक वृत रावतसर गिरफतारशुदा अभियुक्त, संदीप कुमार एवं इसके कब्जे से जब्तशुदा पीकअप मय डीजल, मशीन, टंकी, चाबी, 15,600/– रुपये एवं दो शील्ड बोतल नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल लेकर इस समय पुलिस थाना रावतसर पहुंची तथा उक्त चैकिंग, जब्ती व गिरफ्तारी प्रपत्र पर अभियोग संख्यी 436/2023 अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि. पंजीबद्ध किया गया जिसका अनुसंधान मन इमीचन्द उ.नि. द्वारा किया जावेगा। जब्त शुदा वाहन व अन्य प्रादर्श, नगदी मालखाना ईंचार्ज को सम्भलाये गये एवं अभियुक्त को हवालात में बंद करवाया गया। आरोपी संदीप से पूछताछ व अनुसंधान किया गया। वाहन के सम्बन्ध में रिकॉर्ड प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुलजिम से विस्तृत पूछताछ व अनुसंधान किया जाकर पेश न्यायालय कर जे/सी करवाया जा चुका है। जप्तशुदा डीजल का वजह सबूत अलग से निकाला जा चुका है। प्रकरण में जब्तशुदा 950 लीटर डीजल अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है जो थाना परिसर में रखा हुआ है जिसके कारण कभी भी उक्त ज्वलनशील पदार्थ से कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] कि जब्तशुदा 950 लीटर डीजल को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 11.08.2023 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र परिवादी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध जो कथन किये है कतई निराधार एव झूठे कथनों पर प्रस्तुत होने के कारण काबिल खारिजी के है। प्रार्थी अपने घरेलू कृषि कार्य उपयोग हेतु डीजल लेकर जा रहा था जिसकी बिल की प्रति 950 लीटर मौका पर ही जब्ती अधिकारी को दिखा दी थी व बता दिया था कि उक्त वाहन पूर्व [illegible] ठेकेदारों के पास किराये पर चला था तब ठेकेदारों द्वारा ही उक्त मशीन लगवाई गई [illegible] मौका पर चालू ही नहीं है जिसे चैक कर सकते है अथवा करवा सकते है [illegible] प्रार्थी की बातों को सुने विधि विरूद्ध रूप से उक्त जब्ती की कार्यवाही की है जिसे करने का [illegible] नहीं है। 950 लीटर डीजल ले जाना अपराध की श्रेणी में नहीं है ना ही अपने परिवाद में ऐसा कोई कथन परिवाद प्रस्तुत कर्ता ने किया है कि किस आधार पर धारा 6ए का प्रकरण के विरूद्ध ब[illegible] है। प्रार्थी ने अपने निजी कृषि कार्य हेतु 950 लीटर डीजल रखा हुआ था जो कि कोई अपराध नहीं है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल अपने कृषि व घरेलू कार्य हेतु रखने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:46:17 IST
Reason: SelfAttested

दण्डनीय अपराध नहीं है। माननीय पुलिस उप अधीक्षक वृत रावतसर ने अपने पद का दुरूपयोग कर मुझ अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की है। प्रार्थी पक्ष द्वारा बिना किसी विधि सम्मत कार्यवाही के अप्रार्थी को डीजल 91/– रूपये लीटर बेचना बताया है जबकि पुलिस द्वारा ऐसा कोई कार्यवाही अथवा साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी द्वारा अवैध बेचान किया गया हो। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे तथा जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ-49GB-2928 मय 950 लीटर डीजल एवं 15600 रूपये नगदी अप्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वृताधिकारी, वृत रावतसर द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप में मशीन लगाकर व टंकी बनाकर डीजल बेचते हुए जब्त किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के पीकअप के मशीन लगाकर व टंकी बनाकर डीजल बेचना व अवैध डीजल तेल रखना, परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के जमीन, खेत खलियान है जिनमें डीजल की परिवहन हेतु आवश्यकता रहती है। उक्त वाहन पूर्व में भारतमाला सड़क परियोजना के ठेकेदारों के पास किराये पर चला था तब ठेकेदारों द्वारा ही उक्त मशीन लगवाई गई थी जो अब मौका पर चालू ही नहीं है जिसे चैक कर सकते है अथवा करवा सकते है। परन्तु जब्त अधिकारी ने बिना प्रार्थी की बातों को सुने विधि विरूद्ध रूप से उक्त जब्ती की कार्यवाही की है जिसे करने का अधिकार नहीं है। 950 लीटर डीजल ले जाना अपराध की श्रेणी में नहीं है ना ही अपने परिवाद में ऐसा कोई कथन परिवाद प्रस्तुत कर्ता ने किया है कि किस आधार पर धारा 6ए का प्रकरण के विरूद्ध बनता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल अपने कृषि व घरेलू कार्य हेतु रखने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। अतः जब्दशुदा डीजल अप्रार्थी को लौटाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। वर्तमान प्रकरण में पिकअप रजि. नं. RJ-49GB-2928 व उसके पीछे मशीन लगी हुई टंकी जिसमें 950 लीटर डीजल पाया गया है जबकि केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद ही कोई व्यक्ति रख सकता है। विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ 950 लीटर डीजल वर्तमान में लागू अधिसूचना का उल्लंघन तो नहीं करता है परन्तु पिकअप के पीछे मशीन लगी हुई टंकी से बिना लाईसेंस व परमिट से डीजल बैचना पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी समय पर नियंत्रण आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज वृताधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान प्रकट किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे इतने डीजल का एक साथ परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के जवाब प्रस्तुत करते समय भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये है, लेकिन उक्त दस्तावेजों मात्र से अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु इतने डीजल का परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:46:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 950 लीटर डीजल को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष मे जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 11.08.2023 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा पिकअप गाड़ी नं. RJ-49-GA-2928 का प्रश्न है, इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.08.2023 से वाहन मालिक संदीप कुमार पुत्र श्री भगवाना राम को सुपुर्दगी में दिया जा चुका है, उसका अन्तिम निस्तारण न्यायिक कोर्ट के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ व थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(काना राम आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:46:17 IST
Reason: SelfAttested